न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीनिधि बी टी, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

मुकदमा नम्बर :– 08/2025 **(जी.सी.एम.एस.नम्बर 2025/58)**

उनवान प्रकरण :–

राजस्थान सरकार जरिये धर्मेन्द्र कुमार उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) धौलपुर ———————— ————प्रार्थी।

बनाम

राकेश कुमार पुत्र श्री हरिविलास ठाकुर जाति ठाकुर निवासी ग्राम बांगर (सिंघावल खुर्द) तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर ————————————————अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से :– दिव्या कमठान, सहायक लोक अभियोजक प्रथम।
2. अप्रार्थी की ओर से :– श्री अमित उपध्याय अभिभाषक।

निर्णय **दिनॉक 19.01.2026**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी धर्मेन्द्र कुमार उर्वरक निरीक्षक एंव कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण) अप्रार्थी इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी धर्मेन्द्र कुमार, उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण) कृषि निदेशालय राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक प. 3(7)(कृषि–1)/2021–प.1(1)/जी–46/आ.कृ./ग्रुप–6 दिनांक 01.01.2022 के अन्तर्गत कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण) कार्यालय सहायक निदेशक धौलपुर के पद पर कार्यरत है, तथा राजस्थान राजपत्र संख्या प.12 (8)कृ.–1/इनपुट/2022, जयपुर, मार्च 27, 2023 एवं प.12 (8)कृ.–1/इनपुट/2024, जयपुर, दिसम्बर 16, 2024 के तहत उर्वरक निरीक्षक नियुक्त है। दिनांक 20.09.2025 को संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद, धौलपुर द्वारा दूरभाष पर प्रार्थी को अवगत कराया कि राकेश कुमार पुत्र श्री हरिविलास ठाकुर, जाति ठाकुर निवासी– ग्राम बांगर (सिंघावली खुर्द), तहसील राजाखेड़ा, जिला धौलपुर के घर में अवैध रूप से भण्डारित डी.ए.पी. पकड़ी गई है अतः मौके पर पहुंचकर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये। निर्देशों की पालना में सहायक निदेशक कृषि (वि0) धौलपुर के साथ दिनांक 20.09.2025 समय 05:15 पर श्री

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

राकेश कुमार पुत्र श्री हरिविलास ठाकुर, जाति ठाकुर निवासी– ग्राम बांगर (सिंघावली खुर्द), तहसील राजाखेड़ा, जिला धौलपुर के घर पर मौके पर पहुंचा। मौके पर संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद, धौलपुर, विभागीय कार्मिक एवं पुलिस जाब्ता उपस्थित मिला। मौके पर वस्तु स्थिति की जानकारी ली गई। श्री राकेश कुमार पुत्र श्री हरिविलास ठाकुर, जाति ठाकुर निवासी– ग्राम बांगर (सिंघावली खुर्द), तहसील राजाखेड़ा, जिला धौलपुर के द्वारा बिना उर्वरक लाईसेंस के अपने घर में 76 डीएपी बैग (आई.पी.एल. कम्पनी के) अवैध रूप से भण्डारित कर रखे थे। श्री राकेश कुमार पुत्र श्री हरिविलास, से उक्त डी.ए.पी. के 76 बैग कहाँ से क्रय किये गये की जानकारी ली गई तो राकेश कुमार पुत्र श्री हरिविलास ने बताया कि उक्त डी.ए.पी. के बैग मैसर्स अरिहन्त ट्रेडर्स राजाखेड़ा से खरीदे गये हैं। राकेश पुत्र श्री हरिविलास से मैसर्स अरिहन्त ट्रेडर्स राजाखेड़ा से उक्त 76 डीएपी बैग खरीदने का पक्का बिल मांगा गया तो उपलब्ध नहीं करवाया गया। ऐसी संदिग्ध परिस्थिति में डी.ए.पी. उर्वरक को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 28(1)डी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुये जब्ती की कार्यवाही की गई। श्री राकेश कुमार पुत्र श्री हरिविलास ठाकुर, जाति ठाकुर निवासी– ग्राम बांगर (सिंघावली खुर्द), तहसील राजाखेड़ा, जिला धौलपुर के घर से 76 डीएपी बैग जब्त कर 2 मैक्स गाड़ी में भरकर क्रय–विक्रय सहकारी समिति, पहाड़ी (राजाखेड़ा) में व्यवस्थापक श्री राजवीर पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति त्यागी उम्र–36 वर्ष निवासी–गन्हेदी तहसील– राजाखेड़ा को सुपुर्द किये जाकर प्राप्ति रसीद ली तथा प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.09.2025 समय रात 09:50 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) पुलिस थाना राजाखेड़ा में दर्ज कराई गई। प्रार्थी द्वारा जब्त किये गये अवैध डीएपी की गुणवत्ता जांच हेतु श्री राकेश कुमार पुत्र श्री हरिविलास ठाकुर, जाति ठाकुर निवासी– ग्राम बांगर (सिंघावली खुर्द), तहसील राजाखेड़ा, जिला धौलपुर की उपस्थिति में एक उर्वरक नमूना आहरित किया गया तथा जो अतिरिक्त निदेशक कृषि (तिलहन) भरतपुर खण्ड भरतपुर की प्रयोगशाला आवंटन की स्वीकृति उपरान्त अधिसूचित राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला में गुणवत्ता जांच हेतु भिजवाया गया है। राकेश कुमार पुत्र श्री हरिविलास, ठाकुर, जाति ठाकुर निवासी– ग्राम बांगर (सिंघावली खुर्द), तहसील राजाखेड़ा, जिला धौलपुर द्वारा अपने बयानों में उपरोक्त 76 डीएपी बैग मैसर्स अरिहन्त ट्रेडर्स राजाखेड़ा से क्रय किये गये बताये गये थे। राकेश कुमार पुत्र श्री हरिविलास, के बयानों की जांच हेतु प्रार्थी धर्मेन्द्र कुमार, उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण) हैसियत से दिनांक 21.09.2025 को मैसर्स अरिहन्त ट्रेडर्स राजाखेड़ा (धौलपुर) फर्म का निरीक्षण के लिये पहुंचा। फर्म पर जिम्मेदार व्यक्ति श्री उम्मेदचन्द जैन पुत्र श्री बाबूलाल जैन उपस्थित मिले। फर्म के जिम्मेदार व्यक्ति श्री उम्मेदचन्द जैन को उपरोक्त शिकायत एवं कार्यवाही की जानकारी देते हुये फर्म के दस्तावेज यथा उर्वरक लाईसेंस, पॉस मशीन, उर्वरक वितरण, स्टॉक रजिस्टर एवं उर्वरक भण्डारण गोदाम का निरीक्षण करने की मंशा जाहिर की। फर्म द्वारा प्रार्थी को उपलब्ध कराये गये दस्तावेज यथा पॉस मशीन, उर्वरक वितरण, स्टॉक रजिस्टर एवं उर्वरक भण्डारण गोदाम में डीएपी (आई.पी.एल. कम्पनी) का स्टॉक शून्य पाया गया एवं उपरोक्त फर्म पर आई.पी. एल. डीएपी वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राप्त हुई थी। जिसका स्टॉक 04.06.2025 को निल हो गया था। उसके बाद वित्तीय वर्ष 2025–26 में 1 अप्रैल 2025 से दिनांक 21.09.2025 तक उक्त फर्म पर किसी भी कम्पनी का डी.ए.पी. प्राप्त नहीं हुआ। अतः 6ए,

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जप्तशुदा उर्वरक को राजसात किये जाने के आदेश दिये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि वह जब्त शुदा उर्वरक के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें।

अप्रार्थी की ओर से उनके अभिभाषक श्री अमित उपध्याय अभिभाषक ने वकालतनामा पेश कर नोटिस का जबाव प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थना पत्र कृषि अधिकारी एवं उर्वरक निरीक्षक ने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगा0 7 मय प्रार्थना जिस प्रकार अंकित की गई है गलत है फलस्वरूप स्वीकार नहीं है। कृषि अधिकारी/ उर्वरक निरीक्षक द्वारा की गई कार्यवाही विधि के विरूद्ध व वास्तविकता के विपरीत है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है प्रार्थी पूर्णतः निर्दोष है। प्रार्थी ने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 व सपठित धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को कोई उल्लंघन नहीं किया है। प्रार्थी एवं उसके माता–पिता व चारों भाई संयुक्त एवं शामिलाती रूप से निवास करते है जो कृषक है प्रार्थी एवं उसके परिवारीजन के नाम 0.0581 हैक्टेयर भूमि राजस्व ग्रामों में स्थित है जिनकी जमाबंदी की नकल संलग्न जबाव है। इसके अलावा भेज बटाई पर लेकर कृषि करते हैं। प्रार्थी एवं उसके परिवारीजन उक्त कृषि भूमि में आलू, गैंहू एवं सरसों की फसल पैदा करते है। जिसके लिये काफी मात्रा में डीएपी व उर्वरक की आवश्यकता रहती है। फसल के ऐन वक्त पर डीएपी की बाजार में मारामारी व कमी रहती है तथा समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती है जिसके कारण फसल खराब व बर्बाद हो जाती है। इसलिये प्रार्थी ने डीएपी को वैध रूप से खरीद कर वर्तमान फसल में डालने हेतु अपने घर पर रखी थी। जिसे अवैध भण्डारण की श्रेणी में कृषि अधिकारी द्वारा मानने में कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है। उक्त जब्तशुदा डीएपी के 76 बैग दिनांक 29/08/2025 को जैन एग्रीको नीयर जैन धर्मशाला मैन मार्केट राजाखेड़ा धौलपुर से 1350/– प्रति बैग के हिसाब से 1,02600/– एक लाख दो हजार छः सौ रूपये अदा कर खरीद की। अप्रार्थी ने ना तो अवैध भण्डारण किया है और नाही वह डीएपी का विक्रेता है और ना ही उसने कभी कोई कालाबाजारी की है। अप्रार्थी उक्त डीएपी के 76 बैग अपनी आलू व सरसों की फसल की आवश्यकता की पूर्ति हेतु लाया था जिन्हें उक्त फसल में डाला जाना है। उक्त डीएपी के 76 बैग को प्रार्थी के कब्जेशुदा मकान से जप्त किया गया है जिन्हें राजसात नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्रार्थी उनका वैध स्वामी है जिसकी फसलों की उत्पादक क्षमता एवं पैदावार, एवं उन्नत बनाने हेतु बेहद आवश्यकता है जिसको फसल में डाले बिना उसकी उत्पादक क्षमता कमजोर हो जावेगी जिससे पैदावार नहीं हो सकेगी। अप्रार्थी एवं उसके परिवार की आजीविका, जीवन एवं उनका भरण पोषण ग्राम बागर, सिंघवली खुर्द में स्थित कृषि भूमि पर निर्भर है यदि प्रार्थी व उसके परिवार द्वारा उगायी गई उक्त फसलों में उक्त डीएपी को समय रहते हुये डाला नहीं गया तो उक्त फसलें बर्बाद हो जावेगी। और प्रार्थी एवं उसके परिवार पर आर्थिक संकट आ जावेगा उनके भूखों मरने की नौबत पैदा हो जावेगी। उपरोक्त परिस्थिति में जप्तशुदा डीएपी के बैगों को प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिया जाना न्यायोचित होगा। प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में गजट नोटिफिकेशन एवं पदस्थापन आदेश की छायाप्रति, मौका पर्चा रिपोर्ट मया मौका नक्शा, एनेक्जर

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

एए(क्लोज 28(1)(डी)) के तहत की कार्यवाही का विवरण, सुपुर्दगी पत्र, फर्म जब्ती, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर), मैसर्स अरिहन्त ट्रेडर्स राजाखेडा की निरीक्षण रिपोर्ट की छाया प्रतियां पेश की।

अप्रार्थी ने अपने जबाव के समर्थन में JAIN AGRI CO. का असल बिल, प्रमाणित प्रति जमाबंदी किता 7, पॉश मशीन बिल की फोटो प्रति, 9 आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश किये।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक सहायक लोक अभियोजक प्रथम ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से बिना उर्वरक लाइसेंस के अपने घर में 76 डीएपी बैग (आई.पी. एल. कम्पनी) अवैध रूप से भण्डारित कर रखे थे। राकेश कुमार पुत्र श्री हरिविलास से उक्त डीएपी के 76 बैग कहाँ से क्रय किये गये की जानकारी ली गई तो राकेश कुमार पुत्र श्री हरिविलास ने बताया कि उक्त डीएपी के बैग मैसर्स अरिहन्त ट्रेडर्स राजाखेडा से उक्त 76 डीएपी बैग खरीदने का पक्का बिल मांगा तो उपलब्ध नहीं कराया गया। अप्रार्थी राकेश के पास 4.4 है0 कृषि भूमि है जिसमें आलू की फसल बोने की स्थिति में अप्रार्थी को 30 से 35 कट्टो की ही आवश्यकता पडेगी जबकि उसके पास से 76 कट्टे जब्त हुए है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में अप्रार्थी के विरूद्व थाना राजाखेडा में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। प्रार्थी द्वारा जब्त किये अवैध डी.ए.पी. की गुणवत्ता जांच हेतु एक उर्वरक नमूना आहरित किया गया जो कि श्रीमान अतिरिक्त निदेशक कृषि भरतपुर खण्ड भरतपुर की प्रयोगशाला आवंटन की स्वीकृति उपरांत अधिसूचित राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला में गुणवत्ता जांच हेतु भिजवाया गया। उक्त जब्त डीएपी राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला की विश्लेषण रिपोर्ट में मानक पाया गया। उक्त प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्त किये गये उर्वरकों को राजसात किये जाने के आदेश दिये जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी राकेश एवं उसके परिवारीजन शामिलाती रूप से निवास करते है जिनके नाम 5.0581 हैक्टेयर भूमि है। इसके अलावा भेज बटाई पर लेकर कृषि करते है। उक्त कृषि भूमि में आलू, गेहू एवं सरसों की फसल पैदा करते है जिसके लिये काफी मात्रा में डीएपी व उर्वरक की आवश्यता रहती है। इसलिए प्रार्थी राकेश कुमार ने डीएपी को वैध रूप से खरीदकर वर्तमान फसल में डालने हेतु अपने घर पर रखी थी जिसे प्रार्थी द्वारा आधार कार्ड से JAIN AGRI CO. डीलर से क्रय किया जाना बताया गया।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि जब्तशुदा डी0ए0पी0 बैग अप्रार्थी राकेश कुमार के घर से जब्त किये है। अप्रार्थी राकेश ने अपने जवाब एंव बहस के दौरान उक्त डीएपी के 76 बैग अपनी आलू व सरसों की फसल की आवश्यकता की पूर्ति हेतु लाया है। अप्रार्थी की ओर से मात्र 4.4 है0 भूमि की ही जमाबंदी

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0

पेश की है। बहस के दौरान प्रार्थी धर्मेन्द्र ने 4.4 है0 के लिए लगभग 30–35 डी.ए.पी. बैग की आवश्यकता होना बताया है। जबकि अप्रार्थी से 76 बैग डी.ए.पी. के जब्त किए गए है। अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अधिक बैग के संबध में कोई संतोषजनक कारण स्पष्ट नही किया है। चूंकि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदीयों से अप्रार्थी एंव उसके परिवार के पास 4.4 है0 भूमि होना स्पष्ट है तथा प्रार्थी उर्वरक निरीक्षक ने 4.4 है0 भूमि हेतु लगभग 30–35 बैग की ही आवश्यकता होना बताया है। ऐसी स्थिति में हम अप्रार्थी के पास उसकी आवश्यकता से अधिक पाई गए डी0ए0पी0 बैग को राजसात किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी उर्वरक निरीक्षक का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा 76 बैग डी.ए.पी. में से प्रकरण में 4.4 है0 भूमि के लिए आवश्यक 35 बैग अप्रार्थी की सुपुर्दगी में दिए जाकर शेष 41 डी.ए.पी. बैग को धारा 6ए, ई0सी0 एक्ट के तहत राजसात किए जाने के आदेश दिए जाते है। प्रार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह विभागीय नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही की जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाये। पत्राबली फैसल शुमार होकर। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जाये।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी0टी0)
जिला कलक्टर